2015/00033

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 32/2015

प्रार्थी
भंवरलाल पुत्र गुणेशमल जाति खण्डेलवाल निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा
2.चम्पालाल पुत्र मोटाराम
3.भागुदेवी पत्नि चम्पालाल
4.मिश्रीमल पुत्र मोटाराम
5.कान्तादेवी पत्निमिश्रीमल
जाति प्रजापत निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 92 दिनांक 28.02.2014 जो ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री मदनलाल सिंगल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.श्री बलराम प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 13.12.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 04 चम्पालाल व मिश्रीमल ने सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के समक्ष इस आशय का एक आवेदन पत्र पेश किया कि ग्राम सिणधरी चौसीरा में उनका आवासीय कब्जा सुदा भूखण्ड का विक्रय विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये भूखण्ड का विक्रय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 व 04 का पुराना कब्जा होना बताते हुए 200/–'वसूल करना अंकित कर दिनांक 28.02.2014 को पट्टा संख्या 92 जारी कर दिया। प्रार्थी ने इस पट्टा की भूमि को अपनी खातेदारी एंव संपरिवर्तित भूमि बताते हुए पट्टा संख्या 92 गलत व नियम विरूद्ध होने से अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के अधिवक्ता ने निगरानी का जवाब पेश कर निगरानी में अंकित तथ्यो को गलत बताते हुए प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष मे जारी पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा की आबादी एंव आवासीय भूमि नहीं है, बल्कि यह भूमि प्रार्थी भंवरलाल के स्वामित्व के खसरा नम्बर 56/1 की भूमि है। जिसका प्रार्थी ने विधिवत रूप से आवासीय एंव वाणिज्यिक संपरिवर्तन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम से इन्द्राज किये गये है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा को ग्राम पंचायत के आधिपत्य की भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। जबकि वादग्रस्त पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत सिणधरी के स्वामित्व की नहीं होकर प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि है,जिस भूमि को आवासीय बताकर ग्राम पंचायत सिणधरी ने अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में पट्टा जारी किया है इस भूमि पर सन् 1987–1988 से अप्रार्थी संख्या 02 चम्पालाल प्रार्थी की दुकान में किरायेदार था और आज दिन तक भी उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी के किरायेदार की हैसियत से दुकान चला रहा है इस सम्बन्ध में दिनांक 13.01.1988 को एक राजस्व वाद संख्या 147/87 में अप्रार्थी संया 02 चम्पालाल ने तत्कालीन तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष सशपथ बयान दिये थे जिसमें उसने अपने आपको प्रार्थी भंवरलाल द्वारा बनाई गई दुकान में किरायेदार होना स्वीकार किया है। उन्होने तर्क दिया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 168 की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 व 04 ने तत्कालीन सरपंच से सांठ–गाठ कर ग्राम पंचायत सिणधरी से मिलावट कर नियमो को ताक में रखकर नियम 157 व नियम 158 का उल्लंघन कर गलत पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 02 के भूखण्ड का मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। आक्षेप नोटिस जारी नहीं किया गया है। आक्षेप नोटिस कब्जा सुदा प्लोट व नोटिस बोर्ड या सदृश्य स्थान पर चस्पा नहीं किये गये है। उन्होने तर्क दिया कि नियम 157(1) के तहत पुराने निवास गृहों का विनियमितीकरण के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने निवास गृहों के कब्जों का नियमन करने का प्रावधान है, जबकि विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 02 का दर्शित नाप व पड़ौस का 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा नहीं होकर दुकान है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 92 दिनांक 28.02.2014 नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के विद्वान अधिवक्ता लिखित बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 02 से 05 का वर्ष 1975 से पूर्व कब्जा चला आ रहा है वादग्रस्त खसरा 56/1 के मूल स्वरूप खसरा संख्या 56 के समय से ही अप्रार्थी इस स्थान पर काबिज है,तथा बिजली,पानी व टेलिफोन कनेक्शन अप्रार्थीगण ने अपने नाम से करवा रखे है। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 का गत 40 वर्षो से अधिक समय से एडवर्स पजेशन चला आ रहा है।खसरा परिवर्तन वर्ष 1990–91 संवत् 2046 में भी अप्रार्थी संख्या 02 व 04 का होटल मय कब्जा दर्शाया गया है। अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है वह अप्रार्थी के पुराने कब्जे की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 02 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर, तीन पंचो की कमेटी कर, मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। नोटिस जारी किया गया है इसके पश्चात आपतियां आमंत्रित की गयी है। सारी कार्यवाही नियामनसुार करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 02 का उसके पक्ष में जारी किये गये पट्टो की भूमि पर बहुत पुराना कब्जा था। पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बनाये गये नियमो की पालना करके पुराने कब्जे के आधार पर बाद जॉच पट्टा जारी किया गया है। इसमें कोई अनियिमतता नहीं की गई है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से मिलकर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है जिसमें अप्रार्थीण के कब्जे की मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट पूर्णतया एकतरफा तथा निगरानीकर्ता के प्रभाव में आकर मौके पर न जाकर कार्यालय में बैठक कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी निराधार होने से मय खर्चा खारिंज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा से प्राप्त रिकॉर्ड एंव तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 चंपालाल व मिश्रीमल के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। ग्राम पंचायत सिणधरी सिणधरी की पत्रावली में इस मामले में अप्रार्थी संख्या 02 व 04 द्वारा राशि जमा कराने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

उप नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है,मगर मौका रिपोर्ट में भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है, इसका अंकन नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत की मिसल में आज्ञाओं की सूची में लिखी गई कार्यवाही में तारीख का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि किस–किस तारीख को पंचायत की कार्यवाही सम्पन्न की गई। मिसल की कार्यवाही में 200/– लेकर पट्टा जारी करने का उल्लेख है जिससे यह प्रकट है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी चम्पालाल एंव मिश्रीमल को यह पट्टा नियम 157(1)(ख) के तहत जारी किया गया है। नियम 157(1)(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो नियम 157 (1) (ख) के तहत इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के संलग्न पट्टा संख्या 92 के अवलोकन से यह पट्टा नियम 158 प्ररूप 23 ग में जारी किया गया है इस तरह का पट्टा नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन के तहत नियम 158 (1) में 300 वर्ग गज तक को इस नियम (2)क,ख,ग,के तहत 2/–,5/– एंव 10/– लेकर पट्टा आवंटन करने का प्रावधान है। इस तरह की कार्यवाही का ग्राम पंचायत की पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा में अलग अलग नियम का हवाला होने से यह स्पष्ट नहीं है कि किस नियम के तहत पट्टा जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिणधरी चौसीरा के खसरा नम्बर 56 में 4.00 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 73 के द्वारा खसरा नम्बर 56/1 रकबा 4–00 बीघा भंवरलाल पुत्र गुणेशमल कौम खण्डेलवाल के नाम दर्ज होना,इसी खसरा की भूमि का आवासीय एंव वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होना,दुकाने बनी होना एंव वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा की आबादी भूमि नहीं होना बताया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 56/1 की भूमि प्रार्थी खातेदारी की भूमि है, आबादी की भूमि नहीं है। खातेदारी भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा नियमितिकरण करने अथवा आवंटन का अधिकार नहीं है। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 व 04 नियम 157(1)(ख) अथवा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दस्तावेजों एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली से यह स्पष्ट है ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा ने पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड की बारे में विधिवत जॉच नहीं कर,अप्रार्थी चंपालाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने एंव त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 चंपालाल व मिश्रीमल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 92 दिनांक 28.02.2014 निरस्त किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर